159

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2018 निगरानी निगरानी–3771/2018/शिवपुरी/भू.रा.

श्री S. P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि. 19-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती ऊषा पत्नी मोहन सिंह गुर्जर
2. श्रीमती धनवन्ती पत्नी वालकृष्ण
निवासी ग्राम धवारा परगना करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

–––आवेदिकागण

विरुद्ध

1. प्रभू सिंह पुत्र विष्णू सिंह गुर्जर
निवासी ग्राम धवारा परगना करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी

–––अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रक. 78/2017–18/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदिकागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, ग्राम धवारा परगना करैरा जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क. 36/3 रकवा 1.40 हेक्टर के सम्बन्ध में सीमांकन हेतु

2370

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 3771/2018/शिवपुरी/भू.रा.

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा [illegible]कों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायव तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 78/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 7.6.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:- धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन- (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 13/05/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 13/5/19 **अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी**	